न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्याः— 122/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. कालुराम पुत्र पुखाराम जाति सीरवी निवासी मोतीबा का बेरा, गौशाला के पीछे, रामपुरा रोड़, चण्डावल तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. कालुराम पुत्र उम्मेदराम जाति सीरवी निवासी नयाबेरा, देवली रोड़, चण्डावल तह0 सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थितिः—

01. श्री धर्मीचंद देवासी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री रविन्द्रसिंह जैतावत अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 03/12/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा चण्डावल, पटवार हल्का चण्डावल, भू.अ.नि. क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत में प्रार्थी की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा, मालिकाना हक की कृषि भूमि खाता संख्या नया 514, खसरा नम्बर 422 रकबा 9.7300 हैक्टर आई हुई है, जिसमें प्रार्थी का 1/16 हिस्सा निहित है, उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी 1/16 हिस्से का खातेदार, काश्तकार मालिक है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी के पूर्वजो के समय अन्य सहखातेदार के मध्य मौखिक बंटवाड़ा हो चुका है तथा सभी अपने बंटवाड़े के अनुसार मौके पर काबिज चले आ रहे है। प्रार्थी अपने हक हिस्से में नियमित रूप से काबिज काश्त है तथा प्रार्थी के द्वारा लाखो रूपये खर्च कर अपनी खातेदारीसुदा कृषि भूमि को उपजाउ बनाया तथा प्रार्थी द्वारा शांतिपूर्वक नियमित रूप से कृषि कार्य करता आ रहा है। अप्रार्थी के पिता उम्मेदराम के पक्ष में प्रार्थी के द्वारा दिनांक 01/01/1999 को किसी प्रकार का बेचान इकरारनामा निष्पादित नही किया है तथा प्रार्थी के द्वारा उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 422 में से 5 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि को जरिये बेचान इकरारनामा हस्तान्तरण नहीं किया गया है तथा दिनांक 01/01/1999 का बेचान इकरारनामा फर्जी व कुटरचित है, उक्त कृषि भूमि का कभी भी कब्जा प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी के पिता को सुपुर्द नहीं किया था, आज भी मौके पर प्रार्थी का निर्बाध शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, चूंकि प्रार्थी एवम् अप्रार्थी दोनो एक ही गाँव के निवासी है। अप्रार्थी के पिता का एक भी रूपया प्रार्थी में बकाया नहीं था। अप्रार्थी के पिता उम्मेदराम ने अपने जीवनकाल में कभी भी इकरारनामा की चर्चा नहीं की कभी भी उक्त बेचान रजिस्ट्री करवाने हेतु मौखिक या लिखित रूप से आग्रह नहीं किया, उक्त बेचान इकरारनामा करीब 24 वर्ष पूर्व निष्पादित होना बताया गया है। पिछले 24 वर्ष में अप्रार्थी या उसके पिता के द्वारा कभी भी कोई नोटिस देकर सूचित नहीं किया। अप्रार्थी के द्वारा अपनी पिता की मृत्यु से पूर्व या मृत्यु के तुरन्त पश्चात् कभी भी प्रार्थी को इकरारनामे की पालना करने हेतु नोटिस नहीं दिया गया, क्योंकि अप्रार्थी को यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि प्रार्थी एवम् अप्रार्थी के पिता के मध्य किसी प्रकार का कोई हिसाब बकाया नही है तथा अप्रार्थी के पिता की मृत्यु हुए करीब 11 वर्ष हो चुके है, जिस इकरारनामा की कोई कानूनी वैल्यू नही है, उक्त बेचान इकरारनामा नोटेरी पब्लिक के द्वारा तस्दीक होना बताया है, जबकि उक्त इकरारनामा विधिवत् पंजीयन नहीं है तथा पंजीयन नहीं होने के अभाव में इकरारनामा प्रार्थी के विरूद्ध शुन्य एवम् बेअसर है। अप्रार्थी की अब नियत खराब हो चुकी है, उक्त इकरारनामा दिनांक 01/01/1999 के 24 वर्ष पश्चात् एवम् अपने पिता की मृत्यु के 11 वर्ष पश्चात् विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थी की कृषि भूमि को हड़पने की नियत से अप्रार्थी के द्वारा अपने अधिवक्ता श्री रविन्द्रसिंह जैतावत के मार्फत् एक झूठा, मनगढ़त और आधारहीन विधि विरूद्ध नोटिस दिया गया तथा उक्त फर्जी इकरारनामे की पालना कराने हेतु प्रार्थी को जरिये नोटिस सूचित किया, जिस पर

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थी द्वारा दिनांक 01/07/2023 के नोटिस का प्रार्थी के द्वारा विधिवत् जवाब भी प्रेषित कर दिया है। अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी को दिनांक 25/06/2023 को एलानियों धमकीयों दी कि वादग्रस्त कृषि भूमि का बेचान इकरारनामा अप्रार्थी के पास है तथा उस फर्जी इकरारनामा की आड में प्रार्थी की खातेदारीसुदा कृषि भूमि को विधि विरूद्ध तरीके से हड़प कर मौके पर नाजायज रूप से कब्जा कर लुंगा, तथा प्रार्थी को मौके से बेदखल कर दूंगा तथा प्रार्थी को वादग्रस्त कृषि भूमि में कृषि कार्य नही करने दे रहा है। प्रार्थी को कृषि भूमि में खड़ाई, अवेराई, कटाई तथा फसल का उपयोग व उपभोग लेने नहीं दे रहा है, इस पर प्रार्थी के द्वारा अपने परिवार एवम् मौजिज व्यक्तियो को शामिल कर अप्रार्थी को इस प्रकार का नाजायज कार्य करने से मना किया, फिर भी अप्रार्थी नही माना तथा धमकीयाँ देता रहा, इस प्रकार का विधि विरूद्ध कृत्य करने का अप्रार्थी को किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है, जिस पर प्रार्थी का पूर्वजो के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी खातेदार, काश्तकार है, जिसे अपनी कृषि भूमि का स्वतंत्र रूप से उपयोग व उपभोग करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। इसलिये प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिये अप्रार्थी को प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि में नाजायज रूप से दखल अन्दाजी करने से, कृषि भूमि में टैक्टर चलाने, हल चलाने तथा कृषि भूमि में खड़ाई, निणाद, अवेराई व उपयोग, उपभोग इत्यादि में दखल अन्दाजी करने से अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिये रोका जाना आवश्यक है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिये अप्रार्थी को पाबंद फरमाया जावे तथा ग्राम चण्डावल, पटवार हल्का चण्डावल, भू.अ.नि.क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत में खाता संख्या नया 514, खसरा नम्बर 422 रकबा 9.7300 हैक्टर कृषि भूमि में प्रार्थी के 1/16 हक हिस्से में प्रार्थी के कब्जे, काश्त में, उपयोग व उपभोग में, कृषि कार्य करने में उसके निदाण, अवेराई, कटाई इत्यादि में किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करे, न ही किसी नौकर, एजेन्ट अन्य से करावे तथा उक्त कृषि भूमि से प्रार्थी को बेदखल नही करे, नाजायज रूप से कब्जा नही करने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकंर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

बहस वकुलाय सुनी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि वादग्रस्थ कृषि भूमि में प्रार्थी 1/16 हिस्से का खातेदार, काश्तकार मालिक है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी के पूर्वजो के समय अन्य सहखातेदार के मध्य मौखिक बंटवाड़ा हो चुका है तथा सभी अपने बंटवाड़े के अनुसार मौके पर काबिज चले आ रहे है। प्रार्थी अपने हक हिस्से में नियमित रूप से काबिज काश्त है। अप्रार्थी के पिता उम्मेदराम के पक्ष में प्रार्थी के द्वारा दिनांक 01/01/1999 को किसी प्रकार का बेचान इकरारनामा निष्पादित नहीं किया है तथा प्रार्थी के द्वारा उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 422 में से 5 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि को जरिये बेचान इकरारनामा हस्तान्तरण नहीं किया गया है तथा दिनांक 01/01/1999 का बेचान, इकरारनामा फर्जी व कुटरचित हैं। अप्रार्थी उक्त फर्जी इकरारनामा की आड़ में प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर उतारू हैं। जिसका अप्रार्थी को कोई हक अधिकार नहीं हैं। इसलिये प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रकरण में पक्षकारों हक अधिकारों व कब्जे काश्त का निर्धारण मूल वाद में तनकियात कायम की जाकर बाद साक्ष्य गुणावगुण पर तय किये जाने योग्य हैं। लिहाजा वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(मासिंगा राम)
उप खण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

यह निर्णय आज दिनांक 03/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उप खण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

उप खण्ड अधिकारी • सोजत, जिला-पाली (राज.)